संख्या-38/2015/वे0आ0-2-651/दस-8(मु0स0स0)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 28 जुलाई, 2015**

विषय - खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं:---

(1) खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड-2, रु0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/- को तत्काल प्रभाव अर्थात विभागीय शासनादेश निर्गत होने की तिथि से वेतन बैण्ड-2, रु0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/- में उच्चीकृत किया जाये।

(2) मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड-2, रु0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/- को तत्काल प्रभाव अर्थात विभागीय शासनादेश निर्गत होने की तिथि से वेतन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बैण्ड-2, रु0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4800/- में उच्चीकृत किया जाये।

2- उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव

संख्या-38/2015/वे0आ0-2-651(1)/दस-8(मु0स0स0)/2008टी0सी0,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।